भवदीय ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स

सीवार–सोहावल, अयोध्या–224126

छात्रावास फार्म सत्र–(2020–21)

क्रमांक : .... दिनांक : ....

प्रवेश तिथि .... छात्र की आई. डी. संख्या : ....

नाम : .... कोर्स : ....

छात्र का मोबाइल नम्बर (1) :.. (2)..

पिता का नाम : ....मोबाइल नं. : ....

माता का नाम : ....मोबाइल नं. : ....

स्थाई निवास का नामः..

....

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अभिभावक के नम्बर को सत्यापित करने की दिनांक व हस्ताक्षर : ....

रूम नम्बर : ....

–: आवश्यक निर्देश :–

1. छात्रावास एवं मेस की सुविधा लेने वाले छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र का शुल्क रू 49200/– सत्र के प्रारम्भ में ही जमा करना अनिवार्य होगा। षैक्षणिक सत्र के मध्य में यह सुविधा छोड़ने पर कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

2. संस्थान के छात्रावास में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति उनका गेट के बाहर जाना प्रतिबन्धित है यदि कोई छात्र–छात्रा गेट के बाहर जाता है तो जाने से पहले अपने अभिभावक से छात्रावास अधीक्षक की बात करा के अनुमति लेके ही बाहर जाएगा।

3. संस्थान के कैम्पस के अन्दर किसी भी प्रकार के नषीले पदार्थ को रखना अथवा सेवन करना पूर्णतः वर्जित है, यदि कोई छात्र–छात्रा सेवन करता हुआ या उसके जेब या किसी सामान में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ पाया गया तो उसे दण्डित किया जाएगा जिसमें छात्रावास से निष्कासन भी शामिल है ।

4. कक्षा के समय पर कोई भी छात्र–छात्रा छात्रावास में नहीं रहेंगे यदि किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है तो छात्रावास अधीक्षक या अपने प्राचार्य से प्रार्थना–पत्र पर अनुमति लेकर ही स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जायेगें। जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारी को भी देंगे।

5. छात्रावास मे यदि कोई छात्र/छात्रा बीमार होता/होती है तो उन्हें राजकीय अस्पताल में ले जाने के साथ ही उनके अभिभावक को तुरन्त मोबाइल के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। अभिभावक अपने पुत्र/पुत्री को अपनी इच्छानुसार किसी भी अस्पताल मे ले जा सकते हैं। अभिभावक को सूचना देने की जिम्मेदारी छात्रावास वार्डेन की होगी, वह तत्काल राजकीय अस्पताल पहुँचे, यह जानकारी अभिभावक को देना छात्रावास के वार्डेन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि छात्रावास वार्डेन किसी कारण उपस्थित नहीं है तो,अभिभावक को यह सूचना सम्बन्धित विभाग के प्राचार्य द्वारा भेजी जाएगी, साथ में सूचना देने वाला ही मैनेजमेंट को भी सूचित करेगा। प्राथमिक उपचार के साथ–साथ आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा के लिए आपातकालीन मुफ्त सेवा नं0 108 पर सम्पर्क करें।

6. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राएं लिखित प्रायोगिक परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद तक छात्रावास खाली कर देगें ताकि छात्रावास का रख रखाव (मरम्मत) किया जा सकता है।

7. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र–छात्राएं परीक्ष के समय केन्द्र पर आने जाने का बन्दोवस्त स्वयं करेगें।

8. कैण्टीन की सुविधा लेने वाले सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि होली,दीपावली,दषहरा,षीतकालीन अवकाष के समय कैण्टीन पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।

9. छात्रावास में 24 घण्टे बिजली,पानी की सुविधा दी जाएगी।

10. यदि छात्र/छात्रा का मोबाइल नम्बर बदला जाता है तो संस्थान के रिषेप्सन पर नये मोबाइल नम्बर की सूचना देने की पूर्ण जिम्मेदारी छात्र–छात्रा व अभिभावक की होगी।

11. कक्षा में प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:30 बजे तक षिक्षण अवधि के समय मोबाइल लाना सख्त मना है यदि कोई गलती से मोबइल लाता है, तो उसे पूर्ण रूप से बन्द करके रखेगा। खाने के समय कैण्टीन में मोबाइल का उपयोग न करें यदि किसी का मोबाइल कक्षा या कैण्टीन में बजा तो उसे तुरन्त छात्रावास अधीक्षक के पास जमा कर लिया जायेगा।

12. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेष लेने के पष्चात कक्षाएं प्रारम्भ होने के दिनाँक से लिखित व प्रायोगिक परीक्षा के समाप्ति को एक षैक्षणिक सत्र माना जायेगा।

13. किसी भी षैक्षणिक सत्र के लिखित या प्रायोगिक परीक्षाऐं समाप्त होने के 7 दिनों के अन्दर छात्र–छात्राओं छात्रावास खाली करना होगा। ताकि छात्रावास में वार्शिक मरम्मत कार्य कराया जा सके।
14. नये षैक्षणिक सत्र में छात्रावास की सुविधा हेतु आवेदन पत्र व षुल्क जमा होने के पश्चात ही छात्रावास में कमरा उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रबन्ध तन्त्र के आदेषानुसार किसी भी छात्र/छात्रा के सत्र के मध्य में छात्रावास सुविधा छोड़ने या षुल्क कम करने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। अतः सभी औपचारिकता आवेदन से पूर्व पूर्ण करा लें।

16. छात्रावास के नियमों की अवहेलना व अनुशासनहीनता करने पर छात्र/छात्रा के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय ही सर्व मान्य होगा।

17. छात्रावास में रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है पकड़े जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आवश्यक सूचना

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र–छात्राएं एवं उनके अभिभावक इस सूचना को भली भाँति पढ़ व समझ लें कि जो छात्रावास में रहने वाले छात्र–छात्राओं के साथ यह नियम लागू किया गया है।

मैने संस्थान द्वारा दिये गये उपरोक्त नियमों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है। मैं इसके दिशा निर्देशों से पूर्णतया सहमत हूँ।

.

ह. प्रशासनिक अधिकारी | ह. अभिभावक | ह. छात्र/छात्रा

दिनाँक 25.04.2018